<u>न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया, कुशीनगर।</u>

<u>आदेश</u>

Bail Application No.–1340/2026

<u>03.06.2026</u>

मु०अप०सं०– 167/2026, अन्तर्गत धारा–303(2), 317(2) BNS, थाना–कसया, जनपद–कुशीनगर के मामले में अभियुक्त **रोशन कुमार यादव** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, उसे रंजिशन फंसा दिया गया है। प्रार्थी जमानत मुचलका देने को तैयार है। अतः उसे जमानत मुचलका पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्त दिनांक 19.03.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

ऐसी स्थिति में **माननीय उच्चतम न्यायालय** की विधिव्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी०बी०आई० (2021) 10 SCC 773** के आलोक में मामले के गुण दोष पर राय व्यक्त किये बिना जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा **मु०–25,000/–** रूपये के **दो** प्रतिभू व समान धनराशि के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन हेतु अण्डरटेंकिग दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2– प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगा।
3– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना विदेश नहीं जायेगा।

जे०एम०,
कसया, कुशीनगर।

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.06.03 16:50:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court